

8/7/2021

~~वसुधाप मदी केन अपन~~

~~विशुद्धान अक्षियका गण के~~

~~वदक युनी गडी, शार्डी वकील~~

~~ने शार्डीना. पत्र के तथ्यों को~~

~~होकारे एए निवेदन किया गया~~

~~कि शार्डी के स्वामिदारी क्षेत्र~~

~~में पुरानी भागों में निशार्डीगण~~

~~पैरवदल कर जिम्मा खनन करने~~

~~को आशय है, इसलिए शार्डी के~~

~~क्षेत्रों में क्वी-पुरानी भागों में~~

~~किसी प्रकार का निशार्डीगण पैरवदल~~

~~नहीं करे, इस आशय की मर्यादा~~

~~निवेदन कर के लफेखा जारी करने~~

~~का निवेदन किया गया। साथ ही~~



~~निशार्डीगण अपनी दद का सीमाशन~~

~~करने के उपरान्त ही जिम्मा खनन~~

~~करे, तो कोई आपत्ति नहीं है।~~

~~निशार्डीगण के वकील की वदक~~

~~को युना गया, वदक के दो~~



[Signature]
सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बासोतल


~~निवेदन किया गया कि विद्यार्थीगण एवं~~
~~गर्भों के द्वारा जिल्लम खान पर रसिद~~
~~अपनी. अपनी कार्रकारी क्षेत्र का~~
~~जात्र कर रखा है. अपनी-अपनी~~
~~हद में जिल्लम का खान कार्य~~
~~विद्यार्थीगण के द्वारा किया जावेगा।~~
~~गर्भों के द्वारा विद्यार्थीगण के~~
~~क्षेत्र अनुसार नम्बर 274 की प्रक्रिया~~
~~कराने रके जाने हेतु न्यायालय~~
~~को गुमराह कर अस्थाई निषेधाज्ञा~~
~~जात्र की गई है. जो विधि एवं~~
~~अधिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध~~
~~है, चे ली विधिति में गर्भों के पह~~
~~में दि. 25-06-2021 को जारी की~~
~~गई वह पहिल अस्थाई निषेधाज्ञा~~
~~अदेश को कारिज करवाने~~
~~का निवेदन किया गया।~~
~~साथ ही गर्भों व विद्यार्थीगण के क्षेत्रों~~
~~का सीमांकन किया जात्र है, के कोर्ड~~




 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

आपनि नही है, दोनों एक ही
 अपनी ज़ादेदारी खेती का सीमांकन
 कराने के लिए सहमति जादिर
 की गई, देवी दिवस में
 शर्ती के पक्ष में एवं किसानों
 के किराए जारी अर्थात् निवेदन
 दि. 25.06.2021 को उधार कर
 अर्थात् किया जाता है।

तहसीलदार फुलपुरा को निर्देश
 उदान किये जाते हैं कि मोगा
 सीमांकन क्र.नं. 275/273 रकबा
 08-03 बीघा, क्र.नं. 300/275
 रकबा 07.17 बीघा की ज़ादेदारी का
 शर्ती बीमाराम एवं तथा क्षेत्र
 अर्थात् नम्बर 274 रकबा 27.13
 बीघा की ज़ादेदारी का किसानों
 निवेदनानुसार सीमांकन शुल्क जमा
 कराने पर सीमांकन किया जावे।



(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही में इतना दिनांक तक

पञ्चमी केसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो



(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतर

निर्गम क्रमांक दि. 08-07-2021 के
खुले न्यायालय में सुनाया गया

(S.D.O.) बालोतर